2017 का विधेयक संख्यांक 51

[दि एप्रोप्रिएशन (रेलवेज) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

विनियोग (रेल) विधेयक, 2017

रेलों के प्रयोजनार्थ 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर, उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं को अनुदत्त रकमों से अधिक व्यय की गई रकमों की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (रेल) अधिनियम, 2017 है ।

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से 27,34,90,64,750 रुपए का दिया जाना ।

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका कुल योग सत्ताईस अरब, चौंतीस करोड़, नब्बे लाख, चौंसठ हजार, सात सौ पचास रुपए होता है, व्यय की गई रकमों के उन प्रभारों को चुकाने के लिए दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी जो अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट रेलों से संबंधित सेवाओं की बाबत 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत समझी गईं राशियां, 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की गई समझी जाएंगी ।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2	3		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
3	रेलों पर साधारण अधीक्षण और सेवाएं	...	38,47,888	38,47,888
4.	स्थायी पथ और संकर्मों की मरम्मत और अनुरक्षण	...	86,69,734	86,69,734
5.	चल शक्ति की मरम्मत और अनुरक्षण	67,30,10,224	4,76,961	67,34,87,185
6.	सवारी डिब्बा और माल डिब्बा की मरम्मत और अनुरक्षण	97,88,53,706	6,71,243	97,95,24,949
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	...	5,42,416	5,42,416
8.	प्रचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	1,10,75,35,038	39,96,570	1,11,15,31,608
9.	प्रचालन व्यय - यातायात	...	3,05,87,329	3,05,87,329
10.	प्रचालन व्यय-ईंधन	6,83,95,55,988	17,53,83,182	7,01,49,39,170
11	कर्मचारिवृंद कल्याण और सुख-सुविधाएं	...	2,67,456	2,67,456
13.	भविष्य-निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे	7,32,76,13,946	19,17,139	7,32,95,31,085
15.	साधारण राजस्व से लाभांश, साधारण राजस्व से लिए गए उधारों का प्रतिसंदाय और अतिपूंजीकरण का अपाकरण	1,68,79,61,789	...	1,68,79,61,789
16.	आस्तियां - अर्जन, सन्निर्माण और प्रतिस्थापन			
	पूंजी	8,37,72,87,300	12,16,02,752	8,49,88,90,052
	रेल निधि	...	92,84,089	92,84,089
	योग :	**26,99,18,17,991**	**35,72,46,759**	**27,34,90,64,750**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए है, जो 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए निधि पर भारित विनियोग से अधिक उपगत व्यय को और रेलों पर केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए लोक सभा द्वारा किए गए अनुदानों को चुकाने के लिए आवश्यक है, पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

सुरेश प्रभु

GMGIPMRND—5092LS(CRC)—16-3-2017.